भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा.सं. 06/32/2025-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 27 सितंबर, 2025

जांच की शुरूआत की अधिसूचना

मामला संख्याः -एडी (ओआई)-29/2025

विषय: यूरोपीय संघ और चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित बीआईएस (2,2,6,6-टेट्रामेथिल-4-पेरिडिल) सेबैकेट (यूवी 770) के आयात की पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" या "पाटनरोधी नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड (सीएसटीएल) और क्लीन फिनो-केम लिमिटेड (सीएफसीएल) (जिसे आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने चीन जन.गण. और यूरोपीय संघ (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित बिस (2,2,6,6-टेट्रामेथिल-4-पाइपरिडिल) (जिसे आगे "संबद्ध सामान" या "विचाराधीन उत्पाद" कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन-पत्र दायर किया है।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों के पाटन ने घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक रूप

से बाधित किया है। तदनुसार, आवेदकों ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद बिस (2,2,6,6-टेट्रामेथिल-4-पाइपरिडिल) सेबैकेट है, जिसे यूवी 770 या हिन्डर्ड एमाइन्स लाइट स्टेबलाइजर 770 (एचएएलएस 770) के नाम से भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद एक कम आणविक भार वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र $C_{28}H_{52}N_2O_4$ है और इसकी सीएएस संख्या 52829-07-9 है। इसका रंग रंगहीन से लेकर हल्के पीले रंग का होता है।

4. विचाराधीन उत्पाद एक यूवी प्रकाश स्टेबलाइजर है, जिसका उपयोग पराबैंगनी विकिरण या सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से पॉलिमर के क्षरण को रोकने के लिए किया जाता है, जिससे उत्पादों का जीवनकाल बढ़ जाता है। विचाराधीन उत्पाद को यूवी स्टेबलाइजर 770 या लाइट स्टेबलाइजर 770 भी कहा जाता है, और यह कई ब्रांड नामों के तहत उपलब्ध है, जिनमें टिनुविन 770, सबोस्टैब 77, रियासोर्ब 770 और सनोविन 770 शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

5. संबद्ध सामान पॉलीइथाइलीन या पॉलीप्रोपाइलीन वाहक रेजिन में फैली हुई हैं जिनका उपयोग मास्टरबैच या अन्य यौगिकों में किया जा सकता है। संबद्ध सामानों का उपयोग लचीले मध्यवर्ती थोक कंटेनर (एफआईबीसी) बैग बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग टेप और फिल्म जैसे उच्च सतह क्षेत्रों और कार बंपर और कार के दरवाज़े के पैनल बनाने के लिए पॉलीप्रोपाइलीन/पॉलीमर मोल्डिंग पर भी किया जाता है।

6. विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की अनुसूची I के अध्याय 29 और अध्याय 38 के अंतर्गत वर्गीकृत है, और एचएस कोड 2933 39 90 और 3812 39 90 के अंतर्गत आयातित किया जाता है। सीमा प्रशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जाँच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

7. इस जांच में रुचि रखने वाले पक्ष, यदि कोई हो, तो इस जांच के प्रारंभ होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर पीयूसी/पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं।

ख. <u>समान वस्तु</u>

8. संबद्ध देशों से निर्यातित विषयगत वस्तुएं घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं।संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध सामान घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों में तकनीकी विशेषताओं, भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों एवं प्रयोगों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामानों के तुलनीय विशेषताएँ हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इसलिए, वर्तमान जाँच की शुरुआत करने के प्रयोजनार्थ, आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों को संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के समान वस्तु माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग और आधार

9. यह आवेदन-पत्र क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड और क्लीन फिनो-केम लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों ने अनुरोध किया है कि देश में समान वस्तु का कोई अन्य घरेलू उत्पादक नहीं है। आवेदकों ने यह भी अनुरोध किया है कि वे संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के निर्यातकों या भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातकों से संबद्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदकों ने जाँच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।

10. उपर्युक्त के मद्देनजर और आवेदकों द्वारा दायर आवेदन-पत्र की जांच करने के बाद, प्राधिकारी प्रथम दृष्टया नोट करते हैं कि आवेदक का कुल भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात है और नियम 2(ख) के अभिप्राय से 'घरेलू उद्योग' है तथा आवेदन-पत्र पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

घ. संबद्ध देश

11. यह आवेदन-पत्र यूरोपीय संघ ("ईयू") और चीन जनवादी गणराज्य ("चीन जन.गण.") से विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों के संबंध में दायर किया गया है।

ड. जाँच की अवधि

12. आवेदकों ने जाँच की अवधि के रूप में 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक का प्रस्ताव रखा है। आवेदकों ने अनुरोध किया है कि समान वस्तु का उत्पादन 2022-23 से शुरू हो गया है और उन्होंने क्षति विश्लेषण के उद्देश्य से 2022-23, 2023-24 की अवधि और जाँच अवधि की सूचना प्रदान की है। तथापि, नियमावली के नियम 5(3क) के प्रावधानों के अनुसार, प्राधिकारी द्वारा मानी गई जाँच की अवधि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक है। क्षति अवधि में 2021-22, 2022-23, 2023-24 और जाँच की अवधि शामिल है।

च. कथित पाटन का आधार

चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

13. आवेदकों ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और चीनी उत्पादकों को यह दर्शाने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8(3) के अनुसार संबद्ध सामानों का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि, जब तक चीन जन.गण. के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं, तब तक सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए।

14. अतः, वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था माना है और भारत में देय कीमत के आधार पर चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। सामान्य मूल्य की गणना आवेदकों की अनुमानित उत्पादन लागत के आधार पर की गई है, जिसे उचित लाभ के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों के लिए विधिवत समायोजित किया गया है।

यूरोपीय संघ के लिए सामान्य मूल्य

15. आवेदकों ने दावा किया है कि उनके पास यूरोपीय संघ में घरेलू बिक्री कीमत या उत्पादन की वास्तविक लागत के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं थी।

16. आवेदकों ने यूरोपीय संघ के एक देश, अर्थात् जर्मनी, के उत्पादकों की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है, जो उनके पास उपलब्ध यथोचित जानकारी पर आधारित है। इस प्रयोजन के लिए, आवेदकों ने सेबासिक एसिड के आयात मूल्य और जर्मनी, जो यूरोपीय संघ का एक देश है, में लागू बिजली दरों पर भरोसा किया है, जैसा कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी में बताया गया है। आवेदकों ने घरेलू उद्योग के उपभोग मानदंडों के आधार पर बिजली के उपभोग मानदंडों पर विचार किया है। अन्य कच्चे माल और उपयोगिताओं की लागत को घरेलू उद्योग की लागत के आधार पर माना गया है। निर्धारित लागत में विक्रय, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ को जोड़ा गया है।

17. दावा किया गया सामान्य मूल्य वर्तमान जांच शुरू करने के उद्देश्य के लिए उपयुक्त माना जाता है।

निर्यात कीमत

18. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की निर्यात कीमत, डीजी सिस्टम के आंकड़ों में सूचित किए गए अनुसार संबद्ध सामानों की सीआईएफ कीमत पर विचार करके निर्धारित की गई है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभारों, बंदरगाह खर्चों, अंतर्देशीय भाड़ा, और ऋण लागतों के निमित्त कीमत समायोजन किए गए हैं ताकि कारखानागत निर्यात कीमत निकाली जा सके।

पाटन मार्जिन

19. संबद्ध सामानों का सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया यह दर्शाता है कि पाटन मार्जिन संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामानों के संबंध में न्यूनतम स्तर से अधिक है। इस प्रकार, पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संपर्क

20. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है। आवेदकों ने प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो यह स्थापित करते हैं कि संबद्ध आयातों ने भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना को भौतिक रूप से मंद कर दिया है। निरपेक्ष रूप से संबद्ध आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह प्रस्तुत किया गया है कि भारत में उत्पादन शुरू होने के कारण संबद्ध आयातों में सापेक्ष

रूप से गिरावट आई है। यह नोट किया जाता है कि पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को दबा दिया है और उसे घाटे में बेचने के लिए मजबूर किया है। मूल्य में कटौती नकारात्मक है। घरेलू उद्योग द्वारा यह दावा किया गया है कि ऐसा बाजार में नए उत्पादक के रूप में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए पहुँच मूल्य से अधिक कीमत वसूलने में घरेलू उद्योग की असमर्थता के कारण है। घरेलू उद्योग अपनी अनुमानित बिक्री कीमतों, क्षमताओं और बिक्री मात्रा को प्राप्त करने में सक्षम नहीं रहा है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग अपनी क्षमताओं के कम उपयोग के कारण नुकसान उठा रहा है। इसके अलावा, यह दावा किया गया है कि भारतीय माँग को पूरा करने की क्षमता होने के बावजूद, घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी स्थिर रही है। घरेलू उद्योग को क्षति अवधि के दौरान घाटा और नकद हानि हुई है और जाँच अवधि में भी वह लाभ-हानि की स्थिति में नहीं पहुँच पाया है। घरेलू उद्योग को अपने निवेशों पर नकारात्मक प्रतिफल और लाभप्रदता मानदंडों में नकारात्मक वृद्धि का सामना करना पड़ा है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को भौतिक मंदता के रूप में क्षति पहुँचने के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं, जो पाटनरोधी जाँच शुरू करने को उचित ठहराते हैं।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

21. आवेदकों द्वारा दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र के आधार पर और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के पाटन के संबंध में उसमें प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य, संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति तथा उस क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संपर्क के आधार पर संतुष्ट होने पर तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अनुसार प्राधिकारी एतदद्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की उचित राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच शुरु करते हैं।

झ. प्रक्रिया

22. वर्तमान जांच के लिए नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

23. सभी पत्र निर्दिष्ट प्राधिकारी को jd11-dgtr@gov.in और dir16-dgtr@gov.in पर ईमेल के द्वारा भेजे जाने चाहिए जिसकी एक प्रति adv13-dgtr@gov.in. और consultant-dgtr@nic.in को भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का व्याख्यात्मक भाग खोजने योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में है और डाटा फाइलें एमएस-ऐक्सल फार्मेट में हैं।

24. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादतकों/निर्यातकों, संबद्ध देशों की सरकारों को भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से और भारत में आयातकों तथा प्रयोक्ताओं, जो संबद्ध सामानों से जुड़े हुए जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमाओं के भीतर सभी संगत सूचनाएं दायर कर सकें। सभी सूचनाएं इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में निर्धारित स्वरूप और तरीके, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं के अनुसार दायर की जानी चाहिए।

25. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर इस जांच की शुरुआत द्वारा निर्धारित स्वरूप और तरीके में, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं के अनुसार वर्तमान जांच से संगत अनुरोध भी कर सकता है।

26. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को उसका अगोपनीय रूपांतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

27. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस जांच के संबंध में किसी अन्य अद्यतन सूचना के लिए प्राधिकारी की सरकारी वेबसाइट (**https://www.dgtr.gov.in/**) को नियमित रूप से देखते रहें।

ट. समय सीमा

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को jd11-dgtr@gov.in और dir16-dgtr@gov.in पर ईमेल के द्वारा भेजे जाने चाहिए जिसकी एक प्रति adv13-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@nic.in को उस तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए, जिस तारीख को घरेलू उद्योग द्वारा दायर दस्तावेज़ों का अगोपनीय रूपांतर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा परिचालित किया जाएगा या नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देशों के राजनयिक उपयुक्त प्रतिनिधि को भेजी गई थी। यदि कोई सूचना निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमावली के अनुसार अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं।

29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान जांच में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) सूचित करें और इस अधिसूचना की उपर्युक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोध दायर करें।

30. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दायर करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, तो उसे पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त कारण दर्शाना चाहिए और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आना चाहिए।

ठ. **<u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>**

31. जहां वर्तमान जांच में कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है अथवा प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना देता है, वहां उस पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार उस सूचना का अगोपनीय रूपांतर साथ-साथ प्रस्तुत करें।

32. यह अनुरोध प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" चिन्हित होने चाहिएं। प्राधिकारी को ऐसे चिन्हों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी उन अनुरोधों का निरीक्षण करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

33. गोपनीय रूपांतर में वह सभी सूचनाएं निहित होंगी जो स्वभावतः गोपनीय हो, और/या अन्य सूचना, जिसके बारे में ऐसी सूचना का प्रदाता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना जिसके स्वभावतः गोपनीय होने का दावा किया जाता है, या जिस सूचना की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया जाता है, उसके लिए सूचना प्रदाता को दी गई सूचना के साथ एक उचित कारण विवरण भी प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी सूचना को प्रकट क्यों नहीं किया जा सकता।

34. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय रूपांतर की एक प्रतिकृति होनी चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानत: सूचीबद्ध अथवा ब्लैंक्ड आउट किया गया हो, जहां सूचीकरण संभव न हो, और ऐसी सूचना को उस सूचना के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से सार किया जाना चाहिए जिस पर गोपनीयता का दावा किया जाता है।

35. अगोपनीय सार में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तथा प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए नियमावली के नियम 7 के अनुसार पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण सहित कारणों का विवरण तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं, कि ऐसा सार प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है, प्रदान किया जाना चाहिए।

36. हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना के संगत पैरा के अनुसार दस्तावेज़ों के अगोपनी रूपांतर के परिचालन की तिथि से 7 दिनों के भीतर अनुरोधों में दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं।

37. गोपनीयता के दावे के संबंध में, नियमावली के नियम 7 के अनुसार, सार्थक अगोपनीय रूपांतर या पर्याप्त एवं समुचित कारण विवरण के बिना, और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

38. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट नहीं हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या

सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखा कर सकते हैं।

39. प्राधिकारी, प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट और स्वीकार होने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

40. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उनमें अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर उनके अनुरोधों/उत्तर/सूचना का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को इमेल करने के लिए अपलोड की जाएगी। अनुरोधों/उत्तर/सूचना का अगोपनीय रूपांतर परिचालित करने में विफलता से हितबद्ध पक्षकार सहयोगी माने जा सकते हैं।

ढ. <u>असहयोग</u>

41. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर या प्राधिकारी द्वारा इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुँच से इनकार करता है और अन्यथा प्रदान नहीं करता है, या जाँच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जो वह उचित समझे।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी